प्र.सं. 109/2024 श्रीमती दल्लूबाई व अन्य बनाम पेमा व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25.03.2025	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 92–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा गोगुन्दा, तहसील गोगुन्दा में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की आराजी नंबर 909 रकबा 6 बीघा 1 बिस्वा, जिसके हाल आराजी नंबर 1616 रकबा 1.1800 एवं 1407 रकबा 0.0100 कुल किता 2 रकबा 1.1900 हैक्टर भूमि स्थित है। पक्षकारान का सजरा वाद पत्र की कलम संख्या 2 अनुसार है। उक्त आराजियात में मृतक उदा का 1/4 हिस्सा था, डूंगाजी का 1/2 हिस्सा था तथा देवा जी का 1/4 हिस्सा था एवं इसी अनुसार सजरे में वर्णित व्यक्तियों का हिस्सा निहित है। साबिक पैमाईश सन् 1994 में हुई उस समय उपरोक्त भूमि उक्तानुसार दर्ज थी, किन्तु हाल पैमाईश में उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 7 लालकृष्ण बिहारी के नाम अंकित कर दी गयी, जो बिना अधिकार के है। विवादित प्रतिवादी संख्या 5 व 7 द्वारा उत्पन्न किये जाने से वाद कारण उत्पन्न हुआ, जबकि उनका विवादित आराजी से कोई संबंध नहीं है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार कर आराजी नंबर 909 रकबा 6 बीघा 1 बिस्वा, जिसके हाल आराजी नंबर 1616 रकबा 1.1800 एवं 1407 रकबा 0.0100 कुल किता 2 रकबा 1.1900 हैक्टर भूमि में वादी संख्या 1 से 4 को 1/4 हिस्से का, वादी संख्या 5 व 6 को 1/4 हिस्से का तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 4 को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर रेकार्ड में संशोधन किया जावते तथा प्रतिवादी संख्या 5 से 7 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 25.07.2024 को वादीगण का वाद अबेट हो जाने से खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 04.10.2024 प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री भावेश जैन उपस्थित हुए। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री नरेन्द्र चौधरी उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया	

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.04.15 15:06:04 IST
Reason: SelfAttested

जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट ने धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट के भाई दुर्गालाल का देहावसान दिनांक 12.08.2024 को हो जाने से अपीलान्ट को निर्णय की जानकारी नहीं हो सकी। दिनांक 12.09.2024 को नकल प्राप्त होने पर उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई। जानकारी दिनांक से अपील समयावधि में प्रस्तुत कर दी गयी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर देरी को क्षमा किया जावे तथा अपील अन्दर मयाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगण न्यायहित में अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि विवादित आराजियात साबिक पैमाईश में अपीलान्ट्स व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 के पूर्वजों के नाम पर अंकित थी, जिससे उक्त भूमि अपीलान्ट्स व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 की मौरूसी भूमि होना स्पष्ट है, किन्तु सेटलमेन्ट के दौरान बिना किसी अधिकार के रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 लालकृष्ण बिहारी के नाम पर अंकित कर दी गयी है, जिसे अपीलान्ट्स व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 पुनः अपने नाम दर्ज कराने के अधिकारी हैं। दौराने वाद वादी एवं प्रतिवादी की मृत्यु होने की सूचना अधीनस्थ न्यायालय को दी जाकर मृतक प्यारीबाई एवं सीताराम का नाम हटाने एवं मृतक मोहनीबाई व मांगीलाल के वारिसान को रेकार्ड पर लेने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। उक्त प्रकरण वर्ष 2005 से विचाराधीन होते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने बिना पत्रावली का अवलोकन किये जल्दबाजी में प्रकरण को अबेट मानकर खारिज कर दिया, जो न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे तथा प्रकरण गुणावगुण पर निर्णय करने हेतु रिमाण्ड किया जावे।

उक्त बहस का खण्डन करते हुए विद्वान अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि वादी संख्या 2 मांगीलाल [illegible] संख्या 6 मोहनीबाई,

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.04.15 15:06:04 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी संख्या 1 प्यारीबाई, प्रतिवादी संख्या 2 मोहनीबाई, प्रतिवादी 6 सीताराम तथा प्रतिवादी संख्या 7 शंकरलाल का देहावसान काफी समय पूर्व हो चुका है, वादीगण द्वारा नामकायमी का प्रार्थना पत्र जानबूझकर देरी से प्रस्तुत किया गया है तथा मृत्यु कब हुई इस बाबत् को दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। अतः नामकायमी का प्रार्थना पत्र 90 दिवस में प्रस्तुत नहीं किये जाने से अपील स्वतः अबेट हो जाती है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण का वाद अबेट हो जाने से खारिज किया है जो विधि सम्मत होने से अपील खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि दौराने दावा वादी संख्या 2 मांगीलाल, वादी संख्या 6 मोहनीबाई, प्रतिवादी संख्या 1 प्यारीबाई, प्रतिवादी संख्या 2 मोहनीबाई, प्रतिवादी 6 सीताराम तथा प्रतिवादी संख्या 7 शंकरलाल की मृत्यु हो गयी। अपीलान्ट/वादीगण द्वारा उनकी नामकायमी हेतु जो आवेदन प्रस्तुत किये हैं, उसमें यह स्पष्ट नहीं किया कि उनकी मृत्यु किस दिनांक को हुई, न ही किसी मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया हैं, जबकि प्रतिवादीगण द्वारा इसका खण्डन करते हुए मृतकों की मृत्यु दिनांक अंकित करते हुए 90 दिवस में मृतकों के वारिसान का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने के आधार पर अपील अबेट होने का निवेदन किया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा परिसीमा काल में वारिसान की नामकायमी का आवेदन प्रस्तुत नहीं किये जाने के आधार पर वादीगण का वाद अबेटमेन्ट के आधार पर खारिज किया है, जो प्रथम दृष्टया विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का प्रकरण संख्या 67/2010 निर्णय व डिक्री दिनांक 25.07.2024 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 25.03.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.04.15 15:06:04 IST
Reason: SelfAttested

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.04.15 15:06:04 IST
Reason: SelfAttested